डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 रामेश्वर बनाम जीतेन्द्र वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 22/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू ...... व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व ...... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नंबर 2366 रकबा 0.38 है0 जो कि गत खसरा नंबर 1602 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को 1/12 वाहिस्सा बराबर तथा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 को 1/24 वाहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/36 वाहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व के इन्द्राजात कलमजन किए जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व बैज – मुबलिग ------- बावत ---------- की अदा करें ।
शरह ------ फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ------

दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12/05/2025 को जारी की गई ।

दस्तखत—
सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह रस्तूा महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- प्रा. पत्र 152 जा.दी. के तहत स्वीकार होने के उपरांत विवादित आराजी ख.नं. 2366 रकबा 0.38 है. में वादीगण सं. 1 लगा. 3 को 1/4 वाहि. बराबर, तर. प्रति. सं. 6 लगा. 11 को 1/4 वाहि. बराबर तथा प्रति. सं. 1 लगा. 3 को 1/12 वाहि. बराबर तथा प्रति. सं. 4 को 1/12 हिस्सा तथा प्रति. सं. 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

1. रामेश्वर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई
भरतपुर।
2. राधेश्वर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई
भरतपुर।
3. रामकिशोर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई
भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. जीतेन्द्र सिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जि
भरतपुर।
2. मनोज कुमार पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिल
भरतपुर।
3. बृजेश पत्नीधर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. भूपाल पुत्र ममोल जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—असल प्रतिवादीगण

5. पप्पू पुत्र ममोल जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. सुन्दर पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. सुनीता पुत्री जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
8. ममता पुत्री जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. केहरीसिंह पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
10. पूरन सिंह पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
11. पारस सिंह पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
12. तहसीलदार नदबई।
13. पीएनबी शाखा लखनपुर जरिए प्रबंधक।

— तरतीवी प्रतिवादीगण

19/5/25

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 22 / 2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021 / 34
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 19.5.25

1. रामेश्वर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राधेश्वर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. रामकिशोर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. जीतेन्द्र सिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. मनोज कुमार पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. बृजेश पत्नी धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. भूपाल पुत्र ममोल जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर। —असल प्रतिवादीगण
5. पप्पू पुत्र ममोल जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. सुन्दर पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. सुनीता पुत्री जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. ममता पुत्री जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. केहरीसिंह पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

19/5/25

Scanned with OKEN Scanner

10. पूरन सिंह पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. पारस सिंह पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. तहसीलदार नदबई।
13. पीएनबी शाखा लखनपुर जरिए प्रबंधक।

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री जगवीर सिंह एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति हैं। दावा लडने योग्य हैं।
2. यह कि आराजी खसरा नंबर 2366 रकबा 0.38 है0 जो कि गत खसरा नंबर 1602 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई में स्थित है। उक्त आराजी का वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 क्रमशः मृतक पिता धर्मसिंह व जयदेव द्वारा दिनांक 05.11.2003 को गत खसरा नंबर 1602/571 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के 2/3 का 3/4 हिस्सा वाके ग्राम बछामदी असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व पति व प्रतिवादी संख्या 4 से जरिए रजि0 वयनामा क्रय किया था जिस पर मुताबिक वयनामा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।
3. यह कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण 6 लगायत 11 उक्त आराजी मुतनाजा पर मुताबिक वयनामा दिनांक 05.11.2003 के अनुसार मौके पर काबिज है। उक्त आराजी मुतनाजा जिसका हाल खसरा नंबर 2366 रकबा 0. 38 है0 बना है। उसकी नकल वादीगण द्वारा दिनांक 19.12.2020 को प्राप्त की तो वादीगण को इस बात का इल्म हुआ कि उक्त हाल जमाबंदी में वयनमा दिनांक 05.11.2003 के अनुसार अंकन सही नहीं है। और असल प्रतिवादीगण के नाम आराजी मुतनाजा जिसका वो रजि0 वयनामा दिनांक 05. 11.2003 को करा चुके हैं। उसके अनुसार से अधिक इन्द्राज हाल जमबांदी संवत 2073 से 2076 में चले आ रहे हैं। जबकि असल प्रतिवादीगण उक्त आराजी का जरिए रजि0 वयनामा बेचान कर चुके हैं।
4. यह कि असल प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.12.2020 को यह धमकी दी है कि वह विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल कर देंगे व विवादित आराजी को रहवबय मुन्तकिल कर देंगे जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रवितादीगण उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से नहीं हो सकेगी। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद

19/5/25

करा पाने का अधिकारी है। व गलत चले आ रहे अंकन को कलमजन करा मुताबिक जमाबंदी खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।

5. यह कि बिनाय मुखासमत यौम देने धमकी दिनांक 19.12.2020 को वादीगण को रोज देने धमकी से वादीगण को यह दावा लाने का हक नालिस प्राप्त है।

6. अंत में प्रार्थना की कि उक्त विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र की आराजी में चले आ रहे गलत अंकन को कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक वयनामा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा शेष तरतीवी प्रतिवादीगण से कोई अनुतोष नहीं चाहने के कारण वादीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा से तर्क किया गया। पत्रावली साक्ष्यवादी पेश करने हेतु नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके बछामदी, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम बछामदी, नकल वयनामा दिनांक 05.11.2003 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई, नकल नामान्तरकरण संख्या 1688 दिनांक 20.03.2004 वाके ग्राम बछामदी पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में दिगम्बर पुत्र बहादुर सिंह जाति जाट निवासी बछामदी एवं रामेश्वर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी के शपथ पत्र पेश किए गए। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी खसरा नंबर 2366 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम बछामदी जो कि गत खसरा नंबर 1602 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके बछामदी तहसील नदबई पर स्थित है। उक्त आराजी का वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 क्रमशः मृतक पिता धर्मसिंह व जयदेव द्वारा दिनांक 05.11.2003 को गत खसरा नंबर 1602/571 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के 2/3 हिस्से का 3/4 हिस्सा वाके ग्राम बछामदी असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व पति तथा प्रति. संख्या 4 से जरिए रजि0 वयनामा क्रय किया था। वादीगण व तरतीवी प्रति. संख्या 4 मुताबिक वयनामा मौके पर काबिज काश्त हैं उक्त आराजी का हाल खसरा नंबर 2366 रकबा 0.38 है0 बना है। जिस पर हाल जमाबंदी में वयनामा अनुसार अंकन सही नहीं है। और असल प्रतिवादीगण के नाम आराजी रजि0 वयनामा दिनांक 05.11.2003 को करा चुके हैं उसके अनुसार अधिक इन्द्राजात हाल जमाबंदी संवत 2073–76 में चले आ रहे हैं। जबकि असल प्रतिवादीगण आराजी को जरिए रजि0 वयनामा बेचान कर चुके हैं। उक्त प्रकरण के संबंध में न्यायालय द्वारा तहसीलदार नदबई से तथ्यात्मक रिपोर्ट

19/5/25

मंगवाई गई। तहसीलदार नदबई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी बछामदी की हाल जमाबंदी खाता संख्या 548 के खसरा नंबर 2366 रकबा 0.38 है0 का मुताबिक जमाबंदी संवत 2060 आधार वर्ष मूल खसरा नंबर 1602 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा था। उक्त खसरा नंबर 1602 के खातेदारों द्वारा अपना हिस्सा 2/3 का 3/4 अर्थात 1/2 हिस्से का बेचान जरिए बयनामा दिनांक 05.11.2003 को तस्दीक कराया गया अर्थात नामान्तरकरण संख्या 1688 व विक्रयपत्र अनुसार भूपाल, धर्मसिंह के हिस्सा 2/3 में से जयदेव धर्मसिंह पुत्र कंचन हिस्सा बराबर 1/2 रिकॉर्ड अनुसार सत्य व सही है। जबकि सहवन से जमाबंदी संवत 2060 आधार वर्ष में नोट दरागद करते समय क्रेतापक्ष का त्रुटिपूर्ण हिस्सा 1/3 अग्रिम जमाबंदी संवत 2061–64 में अमल गलत हो गया है। इस प्रकार हाल खातेदार जयदेव, धर्मसिंह पुत्र कंचन हिस्सा बराबर 1/2 तथा जीतेन्द्र सिंह, मनोज कुमार पुत्र धर्मसिंह हिस्सा बराबर 1/6 तथा बृजेश पत्नी धर्मसिंह हिस्सा 1/12 तथा भूपाल सिंह पुत्र ममोल हिस्सा 1/4 किए जाने की भी अनुशंषा तहसीलदार नदबई द्वारा की गई है। तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भी सावित है। अतः वादीगण का वादपत्र काविल स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नंबर 2366 रकबा 0.38 है0 जो कि गत खसरा नंबर 1602 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को 1/12 वाहिस्सा बराबर तथा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 को 1/24 वाहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/36 वाहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व के इन्द्राजात कलमजन किए जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.5.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

19/5/25

गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर नदबई
सहायक कलेक्टर नदबई जिला भरतपुर

नोट :- प्रा. पत्र 152 पा.टी. के तहत स्वीकार होने के उपरांत विवादित आराजी ख. नं. 2366 रकबा 0.38 है0. में वादीगण सं. 1 लगा. 3 को 1/6 वाहि. बराबर, तर. प्रति. नं. 6 लगा. 11 को 1/4 वाहि. बराबर, प्रति. सं. 1 लगा. 3 को 1/12 वाहि. बराबर, प्रति. नं. 4 को 1/12 हिस्सा, तथा प्रति. नं. 5 को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner